बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

संचिका सं0–15/आरोप मुंगेर–02–31/2021– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–

श्री भुनेश्वर यादव, तत्कालीन अंचल अधिकारी, मुंगेर सदर सम्प्रति सेवानिवृत (30.09.2024) के विरूद्ध वर्ष, 2016 में दाखिल खारिज वाद संख्या 2096/2015–16 आवेदक टुनटुन कुमार साह, पे० श्री जगदीश साह, सा०–नयागाँव, थाना–कोतवाली, जिला–मुंगेर के द्वारा समर्पित दाखिल–खारिज आवेदन के आलोक में नियम विरूद्ध दाखिल–खारिज वाद स्वीकृत करने, पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर दाखिल–खारिज वाद का निष्पादन करने, पावर ऑफ अटॉर्नी का अधिकार विक्रेता को था या नहीं, इसकी जाँच नहीं करने, उक्त वाद में आम/खास सूचना का प्रकाशन करते हुए आपत्ति की मांग नियमानुसार नहीं करने एवं जमाबंदी पंजी–II में दर्ज रैयतों के वंशजों से अनापत्ति प्राप्त नहीं करने जैसे आरोप के लिये समाहर्त्ता, मुंगेर के पत्रांक–812/स्था0, दिनांक–19.07.2024 द्वारा आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया।

2. समाहर्त्ता, मुंगेर से प्राप्त आरोप पत्र को विभाग स्तर से पुनर्गठित करते हुए विभागीय पत्रांक–2054(15), दिनांक–13.09.2024 द्वारा श्री यादव से लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री यादव द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक–25.09.2024 से विभाग को समर्पित किया गया।

3. श्री यादव से प्राप्त स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं होने के फलस्वरूप आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों की सम्यक जाँच हेतु अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विभागीय संकल्प सं०–664(15), दिनांक–29.04.2025 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43 (B) के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्त्ता, मुंगेर को जाँच/संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, मुंगेर के पत्रांक–2695/रा0, दिनांक–12.09.2025 द्वारा श्री यादव के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें सभी आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन में सभी आरोपों को अप्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री यादव को विभागीय कार्यवाही से मुक्त करने का निर्णय लिया गया।

5. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार **श्री भुनेश्वर यादव, तत्कालीन अंचल अधिकारी, मुंगेर सदर सम्प्रति सेवानिवृत (30.09.2024)** के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

D:\ashish 2025\Dand Order 25\bhuneshwar yadav (CO munger),_arop mukt.doc

ज्ञापांक– 15/आरोप मुंगेर–02–31/2021–..........................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–........................

प्रतिलिपि :– समाहर्त्ता, मुंगेर के पत्रांक–812/स्था0, दिनांक–19.07.2024 के प्रसंग में/ कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, मुंगेर/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/श्री भुनेश्वर यादव, तत्कालीन अंचल अधिकारी, मुंगेर सदर सम्प्रति सेवानिवृत **स्थायी पता– ग्राम+पो0–गिलानी, थाना–बरबीघा, जिला–शेखपुरा, पिन कोड–811101, मोबाईल– 9122627518** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

स्पीड–पोस्ट
ई–मेल

ह0/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप मुंगेर–02–31/2021–.........14..........(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–02/01/26

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव, प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/आई0टी0/मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

02/01/26
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

D:\ashish 2025\Dand Order 25\bhuneshwar yadav (CO munger),_arop mukt.doc